



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 961) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

11 अगस्त 2026

एस0ओ0 170, दिनांक 11 अगस्त 2026 लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम सं0-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से निम्नांकित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अधीन निर्धारित विहित अपराधों एवं इससे सम्बद्ध अन्य अपराधों के विचारण हेतु, विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) के रूप में अभिहित करती है:-

क्रम सं0	न्यायमंडल	अभिहित विशेष न्यायालय
I	II	III
1.	पटना	1. श्री गौरव सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पटना
2.	लखीसराय	1. सुश्री सीमा भारतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखीसराय
3.	पूर्णियाँ	1. श्री ठाकुर अमन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ

- उक्त पीठासीन पदाधिकारी मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर करेंगे तथा यथा संभव आरोप पत्र दाखिल होने से तीन माह के भीतर विचारण पूर्ण कर निर्णय सुनाएँगे।
- इन विशेष न्यायालयों की अधिकारिता संबंधित जिले की सम्पूर्ण क्षेत्रीय सीमाएँ होंगी।
- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-05/2026/6513/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव ।

11 अगस्त 2026

एस0ओ0 170, दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-05/2026/6513/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव ।

The 11th August 2026

S.O 170, dated 11th August 2026.—In exercise of powers conferred by The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (Act. 1 of 2024) the Government of Bihar, with the consultation of the High Court of Judicature at Patna, designate the courts of following District and Additional Sessions Judge as Special Courts (Fast Track Special Courts) for trial of offences prescribed under the The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 as well as other such connected offences :-

Sl. No.	Judgeship	Designated Special Court
I	II	III
1.	Patna	1. Sri Gaurav Singh, District & Additional Sessions Judge, Patna.
2.	Lakhisarai	1. Ms. Seema Bharatiya, District & Additional Sessions Judge, Lakhisarai.
3.	Purnea	1. Sri Thakur Aman Kumar, District & Additional Sessions Judge, Gaya.

2. The Presiding Officers shall hear the cases on day-to-day basis and put their best effort to conclude the trials and pronounce the judgement within a period of three months from the date of filing of Charge-sheet.

3. Jurisdiction of these Special Courts shall be the entire territorial limits of the concerned district.

4. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

(File No.-A/Act -05/2026/6513/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

Balram Dubey,

Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 961-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>